

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 464]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अक्टूबर 2011—आश्विन 27, शक 1933

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 1-5-2010-सात-4 ए.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा के सदस्यों की भर्ती तथा सेवा शर्तों से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तों) नियम, 2011 है.

(2) ये “मध्यप्रदेश राजपत्र” में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

- (क) सेवा के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है, सरकार,
- (ख) “आयोग” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग,
- (ग) “विभागीय पदोन्नति समिति” से अभिप्रेत है इन नियमों के अधीन गठित समिति,
- (घ) “परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 में अंतर्विष्ट प्रतियोगी परीक्षा,
- (ङ) “सरकार” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल,
- (च) “राज्यपाल” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश के राज्यपाल,
- (छ) “समिति प्रतियोगी परीक्षा” से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 13 के अधीन संचालित सीमित प्रतियोगी परीक्षा,

- (ज) “अन्य पिछड़ा वर्ग” से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ-85-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग,
- (झ) “अनुसूची” से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची,
- (ञ) “अनुसूचित जाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या जनजाति का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,
- (ट) “अनुसूचित जनजाति” से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है,
- (ठ) “सेवा” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा,
- (ड) “राज्य” से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य.

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम अनुसूची एक में यथा उल्लिखित सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन.**—सेवा का गठन निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर होगा, अर्थात्,—

- (एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व, सेवा में भर्ती किए गए हों, और
- (तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि.**—(1) सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए उपबंधों के अनुसार होंगे :

परंतु सरकार, समय-समय पर, सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी आधार पर या अस्थायी आधार पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

(2) सेवा के सदस्य, वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-1-2008 के प्रावधानों के अनुसार वेतनमान के समयमान, वेतनमान प्राप्त करने के हकदार होंगे.

6. **भर्ती का तरीका.**—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती,—

- (एक) 60 प्रतिशत पद आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे.
- (दो) 5 प्रतिशत पद राजस्व मंडल, आयुक्त, भू-अभिलेख तथा बन्दोबस्त तथा आयुक्त एवं कलक्टर कार्यालय के लिपिक वर्ग के कर्मचारियों के मध्य से चयन के पश्चात् अनुसूची-पांच में यथा उपबंधित अनुसार सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे.
- (तीन) 25 प्रतिशत पद अनुसूची दो तथा चार में किए गए यथा उपबंधित के अनुसार राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे.
- (चार) 10 प्रतिशत पद स्नातक पटवारियों तथा राजस्व निरीक्षकों की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा अनुसूची दो में किए गए उपबंधों के अनुसार भरे जाएंगे.

- (ख) तहसीलदार के पद पर भर्ती अनुसूची दो तथा चार में यथा उपबंधित अनुसार नायब तहसीलदार की पदोन्नति द्वारा की जाएगी.
- (ग) उन व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल या स्थानापन्न हैसियत में धारण करते हैं जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए.

(2) उप नियम (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट किए गए पदों की संख्या के अनुसूची-दो में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा आयोग के परामर्श से, अवधारित की जाएगी.

(4) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि सरकार की राय में, सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से, उक्त उपनियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जो वह इस निमित्त जारी किये गये आदेश द्वारा विहित करे.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं.

8. सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.—चयन/परीक्षा के लिये पात्र होने हेतु अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात् :—

- (1) आयु.—(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारंभ होने की तारीख से ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची-तीन के कॉलम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु से अधिक न हो;
- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, शिथिलनीय होगी :—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी सरकारी सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी दूसरे पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए. यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
- (तीन) ऐसे अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो;

स्पष्टीकरण.—पद “छंटनी किया गया सरकारी सेवक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किन्हीं संगठक इकाई की अस्थायी सरकारी सेवा में कम-से-कम छह मास की कालावधि तक निरंतर रहा था और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया था.

(चार) ऐसा अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक है, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम कर करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

**स्पष्टीकरण.**—पद “भूतपूर्व सैनिक” से द्योतक है ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग में रहा हो तथा भारत सरकार के अधीन कम-से-कम छह मास की निरंतर कालावधि तक नियोजित रहा था तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने अथवा सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छूटनी की गई थी अथवा जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया था :—

- (1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेसन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;
- (2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिसे दूसरी बार नामांकित किया गया हो, और जिसे :—
  - (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,
  - (ख) नामांकन संबंधी शर्तें पूर्ण कर लेने पर,

सेवोन्मुक्त किया गया हो।

- (3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कार्मिक;
  - (4) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं) उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों;
  - (5) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरुद्ध छह मास से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;
  - (6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो;
  - (7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे दक्ष सैनिक बनाने योग्य नहीं हैं;
  - (8) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने के परिणामस्वरूप घाव हो जाने आदि के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया हो आदि।
- (घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा अधिकतम दस वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ङ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (च) उन अभ्यर्थियों के लिये जो परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक हैं, उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (छ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन किसी दम्पति के पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ज) विक्रम पुरस्कार धारक अभ्यर्थियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा पांच वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो मध्यप्रदेश राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ञ) नगर सेना (होमगार्ड्स) के स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नान कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये उच्चतर आयु सीमा, आठ वर्ष की सीमा के अधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(ट) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु सीमा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

**टिप्पण.**—एसे अभ्यर्थी जिन्हें उपर्युक्त नियम 8 (1) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन के लिये पात्र पाया गया हो, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात्, वे परीक्षा/चयन के पहले अथवा उसके बाद सेवा से त्यागपत्र देते हैं तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि, यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छंटनी की जाती है तो वे पात्र बने रहेंगे. अन्य किसी भी मामले में यह आयु सीमा शिथिल नहीं की जाएगी.

(2) विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन में उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त करनी होगी.

(2) **शैक्षणिक अर्हता.**—अभ्यर्थी के पास, अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिये विनिर्दिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए :

परन्तु.—

(क) आपवादिक मामलों में, नियुक्ति प्राधिकारी, किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्ह मान सकेगा, जो यद्यपि इन नियमों में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न रखता हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं/विश्वविद्यालयों द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में अभ्यर्थी को परीक्षा/चयन के लिये पात्र ठहराती हों.

(ख) ऐसे अभ्यर्थी जो अन्यथा अर्ह हैं किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधि प्राप्त की हो जो ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिन्हें सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से मान्यता नहीं दी गई है, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा/चयन में उपस्थित होने पर भी विचार किया जा सकेगा.

(3) **फीस.**—अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **निरर्हता.**—(1) किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा.

(2) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिये नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा.

(3) कोई अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी पद या सेवा के लिये पात्र नहीं होगा :

परंतु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतानों का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा.

(4) कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसे महिलाओं के विरुद्ध अपराध के लिये दोषसिद्ध किया गया है, परंतु यह और कि जहां ऐसा मामला अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में लंबित है, उसकी नियुक्ति का मामला न्यायालय के अंतिम विनिश्चय तक लंबित रखा जाएगा.

(5) कोई अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि उसकी दो जीवित पत्नियां हों तथा कोई अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगी यदि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करती है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो.

(6) कोई शासकीय सेवक जिसकी एक पत्नी जीवित हो, शासन की पूर्व मंजूरी के बिना विवाह करता है, सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा.

(7) कोई महिला शासकीय सेवक, ऐसे व्यक्ति से जिसकी पत्नी जीवित हो शासन की पूर्व मंजूरी के बिना विवाह नहीं करेगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा.—चयन/परीक्षा में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी नहीं किया गया है, साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिये अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

11. प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदार के पद पर सीधी भर्ती द्वारा चयन ( लिपिकवर्गीय सेवा तथा पटवारी/ राजस्व निरीक्षकों से चयन को छोड़कर ) :—

- (1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अन्तरालों से ली जाएगी, जैसा कि सरकार, आयोग के परामर्श से, समय-समय पर, अवधारित करे।
- (2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार संचालित की जाएगी, जैसी कि सरकार, आयोग के परामर्श से समय-समय पर, जारी करें।
- (3) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश और अनुदेशों के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (4) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (5) इस प्रकार आरक्षित पदों को भरते समय उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति पर विचार उसी क्रम में किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (6) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।
- (7) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (8) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे वहां नियुक्ति प्राधिकारी, राज्य सरकार से परामर्श के पश्चात्, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अनुभव की ऐसी शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (9) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित समस्त रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों तो शेष रिक्तियां किसी अन्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और रिक्तियां यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये अगले चयन के लिये आरक्षित रखी जाएंगी।

12. आयोग द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थियों की सूची.—(1) आयोग उन अभ्यर्थियों की योग्यता के क्रम में एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्ह हों जैसा कि आयोग अवधारित करे तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, आयोग द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया है, योग्यता के क्रम में एक सूची तैयार करेगा और सरकार को अग्रेषित करेगा। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जाएगी।

(2) इन नियमों तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिसमें कि उनके नाम सूची में आए हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं हो जाता जब तक सरकार का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(4) चयन सूची उसके जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि तक विधिमान्य रहेगी।

13. लिपिकवर्गीय सेवा तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग से नायब तहसीलदार पद पर सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा चयन.—राजस्व मंडल, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, आयुक्त तथा कलक्टर कार्यालय के लिपिकवर्गीय सेवा के केवल ऐसे सदस्य तथा पटवारी और राजस्व निरीक्षक इस योजना का लाभ लेने के लिये पात्र होंगे जो कम-से-कम पांच वर्ष से राजस्व विभाग में लिपिक या पटवारी/राजस्व निरीक्षक के पद पर नियमित या स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे हैं तथा जो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कला, विज्ञान (तकनीकी तथा इंजीनियरिंग को सम्मिलित करते हुए) वाणिज्य या कृषि में स्नातक उपाधि धारण करते हों।

(1) राजस्व मण्डल, आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, आयुक्त और कलक्टर कार्यालय के लिपिकवर्गीय सेवा से नायब तहसीलदार के पदों को चयन द्वारा भरने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे समय पर जैसा वह अवधारित करें, अनुसूची पांच में अधिकथित योजना के अनुसार एक वार्षिक सीमित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित करेगा।

(2) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा समय-समय पर, जारी आदेशों के अनुसार, सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रखे जाएंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम में उनके नाम नियम 12(1) में निर्दिष्ट सूची में आए हों। चाहे अन्य उम्मीदवारों के तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो।

(4) यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी जो यद्यपि अनुसूची पांच में उल्लिखित मानक अनुसार अर्हित नहीं हैं किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त समझता है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित रखे गए पदों पर नियुक्त किए जा सकेंगे।

(5) इन नियमों के अध्यधीन रहते हुए उपलब्ध रिक्त पदों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा।

(6) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

14. परिवीक्षा.—सेवा में सीधी भर्ती किए गए प्रत्येक व्यक्ति, को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा।

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(1) पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों का प्रारंभिक चयन करने हेतु एक समिति गठित की जाएगी जिसमें अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्य होंगे :—

परंतु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामनिर्देशित किए गए अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए उसके कॉलम (4) में उल्लिखित पदों पर पदोन्नति हेतु अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया, पदोन्नति में आरक्षण मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में यथाविनिर्दिष्ट उपबंधों के अनुसार होगी।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर इस आशय के प्रमाण-पत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) तथा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किये गये अनुदेशों का अनुपालन किया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

(4) विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक ऐसे अंतरालों से होगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश दें, किन्तु साधारणतः एक वर्ष से अधिक का अंतराल नहीं होगा।

**16. पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.—**(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिसने उस वर्ष की पहली जनवरी को, उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी है या जिन्हें सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए अन्य पद या पदों पर, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) पूर्ण कर ली हो, जैसा कि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में हो :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को वरिष्ठ व्यक्ति से अधिमान देने के पश्चात् केवल इस आधार पर ही विचार नहीं किया जाएगा कि उसने इस उप नियम में विनिर्दिष्ट सेवा अवधि पूर्ण कर ली है।

**स्पष्टीकरण—**(1) पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति-सुसंगत वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति आहूत की जाती है, अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कलैण्डर वर्ष से की जाएगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/ पद का वेतनमान में आया है और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से गणना नहीं की जाएगी।

(2) पदोन्नति हेतु विचारण क्षेत्र के लिये मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंध लागू होंगे।

**17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना:—**(1) विभागीय पदोन्नति समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपरोक्त नियम 16 में विहित शर्तों को पूरा करते हो, और जो समिति द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे गए हों। यह सूची चयन सूची तैयार करने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान होने वाली अनपेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिये उक्त चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत व्यक्तियों से मिलकर एक आरक्षित सूची भी तैयार की जाएगी।

(2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार होंगे।

(3) प्रत्येक चयन सूची तैयार करते समय, चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे। जब कभी योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की जाना हो, चयन सूची मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के उपबंधों के अनुसार तैयार की जाएगी।



**स्पष्टीकरण**—कोई व्यक्ति जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित किया गया है किन्तु जिसे चयन सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वतर चयन के आधार पर ही उन व्यक्तियों पर, जिन पर पश्चातवर्ती चयन में विचार किया गया था, ज्येष्ठता का कोई दावा नहीं करेगा.

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची प्रत्येक वर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित की जाएगी.

(5) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में यह प्रस्तावित हो कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाए तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारणों को लेखबद्ध करेगी.

**18. आयोग से परामर्श.**—नियम 17 के अनुसार तैयार की गई ऐसे नायब तहसीलदारों की सूची जिन्हें तहसीलदार के रूप में विचारण के योग्य समझा जाए, शासन द्वारा निम्नलिखित के साथ आयोग को भेजी जाएगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख.

(दो) सेवा के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख जिनको सूची में की गई सिफारिशों के द्वारा, अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) संबंधित संवर्गों के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किए गए कारण; और

(चार) समिति की सिफारिशों पर शासन के विचार.

**19. चयन सूची.**—(1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ-साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि जब तक वह उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा.

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूचियों में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में आयोग को सूचित करेगा और यदि आयोग उस पर कोई मत प्रकट करे तो ऐसे संशोधनों सहित यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगा.

(3) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूचियां नायब तहसीलदार/तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति हेतु चयन सूचियां होगी.

(4) (क) नियम 13 के अनुसार राजस्व निरीक्षक के पद से नायब तहसीलदार के पद पर पदोन्नति के लिये बनाई गयी चयन सूची पर शासन द्वारा विचार किया जाएगा और जब तक उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा.

(ख) यदि समिति से प्राप्त सूची में सरकार कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझती है, तो सरकार ऐसे उपांतरणों, के साथ, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात् सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित करेगी.

(5) चयन सूची, जब तक की नियम 17 के उपनियम (4) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण नहीं किया जाए, प्रवृत्त रहेगी किन्तु ऐसी सूची की विधिमान्यता उसे तैयार किए जाने की तारीख से 18 मास की कुल कालावधि से अधिक नहीं बढ़ाई जाएगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किए गए किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्यों के अनुपालन में गंभीर चूक होने की दशा में, सरकार की प्रेरणा पर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा, और आयोग यदि उचित समझे, तो ऐसे व्यक्तियों का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

20. **चयन सूची से नियुक्ति.**—चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग के पद पर नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में आए हों.

(2) साधारणतः किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित है, नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम सम्मिलित किए जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी गिरावट न आ गई हो, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में ऐसी हो जिससे वह सेवा में नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त हो गया हो.

21. **परिवीक्षा.**— पदोन्नति द्वारा सेवा में नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा.

22. **निर्वचन.**—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो वह शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा.

23. **शिथिलीकरण.**—इन नियमों में की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामलों में, जिसे ये नियम लागू होते हों, राज्यपाल की, ऐसी रीति में, जो उसे उचित और साम्यापूर्ण प्रतीत हो, कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती हो :

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा. जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा व्यक्ति के लिये कम अनुकूल हो.

24. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों में की गई कोई भी बात राज्य सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर, जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

25. **निरसन.**—ऐसे समस्त नियम तथा आदेश जो इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त हो, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी भी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में, यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है.

अनुसूची-एक  
(नियम 5 देखिए)

**वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या**

अनुक्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड + ग्रेडपे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	तहसीलदार	499	द्वितीय श्रेणी कार्यपालिक	9300—34800 + 4200
2	नायब तहसीलदार	594	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	9300—34800 + 3600

अनुसूची-दो

(नियम 6 एवं 7 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा तथा पदों की संख्या	कर्तव्य पदों की संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की प्रतिशतता		
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवाओं से स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति/समिति प्रतियोगी द्वारा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	मध्यप्रदेश राजस्व विभाग	तहसीलदार नायब तहसीलदार	474 594	- 60 प्रतिशत प्रतियोगी परीक्षा द्वारा जो कि आयोग द्वारा संचालित की गई है.	- 25 प्रतिशत राजस्व निरीक्षकों की पदोन्नति द्वारा	- क-5 प्रतिशत राजस्व मंडल आयुक्त, भू-अभिलेख एवं, बंदोबस्त आयुक्त, कलक्टर कार्यालय से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा. ख-10 प्रतिशत स्नातक पटवारी/राजस्व निरीक्षकों से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा.

अनुसूची-तीन

(नियम 11 देखिए)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

विभाग का नाम	सेवा का नाम तथा पद	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
राजस्व विभाग	मध्यप्रदेश कनिष्ठ प्रशासकीय सेवा- नायब तहसीलदार	21	35	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला, वाणिज्य, कृषि, विज्ञान (तकनीकी व इंजीनियरिंग को सम्मिलित करते हुए) उपाधि.

अनुसूची-चार  
(नियम 15 देखिए)

भर्ती का तरीका

अनुक्रमांक	विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम	पदोन्नति के लिए अनुभव	सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है	नियुक्ति प्राधिकारी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	राजस्व विभाग	नायब तहसीलदार	5 वर्ष	तहसीलदार	शासन	1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट सदस्य—अध्यक्ष. 2. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य. 3. संभागीय आयुक्त— सदस्य 4. नामनिर्दिष्ट सदस्यों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का न होने पर उसी प्रास्थिति का कोई सदस्य. 5. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य-सचिव.
2		राजस्व निरीक्षक	5 वर्ष	नायब तहसीलदार	शासन	1. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग—अध्यक्ष. 2. आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश — सदस्य. 3. संभागीय आयुक्त मध्यप्रदेश—सदस्य 4. नामनिर्दिष्ट सदस्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का न होने की दशा में उसी प्रास्थिति का कोई सदस्य. 5. अपर सचिव/उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग—सदस्य—सचिव.

अनुसूची—पांच

“राजस्व मंडल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालयों की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना.”

1. नाम—इस योजना का नाम “राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालय की लिपिकवर्गीय सेवाओं से तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग में से सीमित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नायब तहसीलदारों के पदों को भरने की योजना” है.
2. पात्रता—राजस्व मण्डल, आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, संभागायुक्त तथा कलक्टर कार्यालयों को लिपिकवर्गीय सेवाओं तथा पटवारी/राजस्व निरीक्षक संवर्ग के केवल ऐसे सदस्य ही इस योजना का लाभ उठाने के पात्र होंगे जिनके पास निम्नलिखित अर्हताएं हो, अर्थात्:—

(एक) जो राजस्व विभाग में किसी लिपिकवर्गीय पद पर या पटवारी/राजस्व निरीक्षक के रूप में कम से कम 5 वर्ष से स्थायी या स्थानापन्न हैसियत से कार्य कर रहे हों;

(दो) जिसकी आयु उस वर्ष की पहली जनवरी को जिसमें आवेदन किया जाता हो 40 वर्ष से अधिक न हो. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के लिये अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी; और

(तीन) किसी भी व्यक्ति को इस योजना के अधीन परीक्षा में तीन से अधिक बार सम्मिलित होने हेतु अनुज्ञात नहीं किया जाएगा.

3. **चयन**—नियुक्ति के लिये चयन (एक) इस योजना के अधीन लिखित परीक्षा में प्राप्तांक और (दो) संबंधित कर्मचारी के गत 5 वर्षों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों के मूल्यांकन पर आधारित होगा.

4. **परीक्षा**.—(1) एक लिखित परीक्षा होगी जो आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर द्वारा प्रतिवर्ष या ऐसे अन्तरालों में, ऐसी तारीख या तारीखों को और ऐसे स्थान या स्थानों पर जो आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर निश्चित करे, संचालित की जाएंगी.

(2) लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे जो प्रत्येक 50 अंक का तथा 2.30 घण्टे की अवधि का होगा. अभ्यर्थी का सफल होने के क्रम में प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक्-पृथक् कम से कम 50 प्रतिशत अंक अवश्य ही प्राप्त करना होगा.

(3) प्रश्न पत्र विषयनिष्ठ प्रकार का होगा एवं प्रश्न पत्र बनाने का कार्य आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर द्वारा किया जाएगा. और मूल्यांकन भी आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त ग्वालियर द्वारा किया जाएगा.

अधिकतम अंक—50

समय—2.30 घंटे

#### प्रथम—प्रश्न पत्र

(1) **सामान्य ज्ञान ( 15 अंक )**—वर्तमान घटनाएं, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल तथा संबद्ध विषय से संबंधित सामान्य ज्ञान पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, मध्यप्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी पर आधारित संक्षिप्त प्रश्न, सामान्य विज्ञान से संबंधित साधारण प्रश्न (केवल 15 प्रश्न).

(2) **सामान्य हिन्दी ( 15 अंक )**—केवल 15 प्रश्न

(3) **प्रारंभिक अंक गणित ( 20 अंक )**—गुणा, भाग, दशमलव भिन्न, प्रतिशत, लाभ तथा हानि, औसत, क्षेत्रफल, आयतन, अनुपात—समानुपात (केवल 20 प्रश्न).

अधिकतम अंक—50

#### द्वितीय —प्रश्न पत्र

(1) **शासकीय सेवा से संबंधित सामान्य नियमों का ज्ञान ( 20 अंक )**—वेतन, भत्ते, अवकाश, सामान्य भविष्य निधि योजना से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान, सेवा भर्ती के नियमों का सामान्य ज्ञान, शासकीय सेवा के आचरण से संबंधित नियमों का प्रारंभिक ज्ञान.

(2) **राजस्व शब्दावली का ज्ञान ( 15 अंक )**—विभाग में तथा अधिकारिता में विभिन्न पद नामों का सामान्य ज्ञान, राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न संगठनों का प्रारंभिक ज्ञान (केवल 15 प्रश्न).

## (3) निम्नलिखित अधिनियमों का ज्ञान (15 अंक)

- (1) भू-राजस्व संहिता, 1959
- (2) मध्यप्रदेश कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960
- (3) मध्यप्रदेश सहकारी, सोसायटी अधिनियम, 1960
- (4) राजस्व नियमावली (सभी भाग)

(4) आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर द्वारा परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थियों से परीक्षा की तिथि से यथोचित समय पूर्व आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे और उनमें जो पात्र पाये जाएंगे, उन्हें परीक्षा की तारीख, समय तथा स्थान की सूचना दी जाएगी.

(5) दोनों प्रश्न पत्रों के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर द्वारा कराया जायेगा तथा इस कार्य हेतु आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, राजस्व मण्डल, संभागीय आयुक्त और कलक्टर एवं अन्य विभागों के अधिकारियों की सेवाएं ली जाएंगी तथा ये अधिकारी आयुक्त, भू अभिलेख एवं बन्दोबस्त, ग्वालियर द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे.

(6) ऐसे अभ्यर्थियों की सूची, जिन्होंने प्रत्येक प्रश्न पत्र में पृथक्-पृथक् 50 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, दोनों प्रश्न-पत्रों में प्राप्त अंक के अनुसार तैयार की जाएगी.

5. (1) उन अभ्यर्थियों के जिनके नाम, उपरोक्त पैरा (6) के अनुसार तैयार की गयी सूची में सम्मिलित हों, उनके विगत 5 वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का मूल्यांकन, अनुसूची-चार के कालम (4) एवं (5) के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा किया जाएगा.

(2) प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट पर 20 अंकों में से नीचे उल्लिखित सन्नियमों के अनुसार अंक दिए जाएंगे:—

उत्कृष्ट	-	20 अंक
बहुत अच्छा	-	18 अंक
अच्छा	-	15 अंक
औसत	-	10 अंक

(3) वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के आधार पर 100 अंकों में से दिए गए कुल अंक एवं परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग किया जाएगा.

(4) अंतिम चयन सूची, परीक्षा में कुल अंकों और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के मूल्यांकन के अनुसार तैयार की जाएगी. 10 प्रतिशत कोटे में से नायब तहसीलदारों की पदोन्नति, इस सूची में से की जाएगी जिस क्रम में उनके नाम आए हैं.

(5) इस योजना के अधीन नायब तहसीलदारों के रूप में नियुक्त लिपिकवर्गीय कर्मचारियों की पारस्परिक ज्येष्ठता, उस क्रमानुसार आधारित होगी जिस क्रम में उनके नाम आए हैं.

6. **परिवीक्षा.**—इस योजना के अधीन नियुक्त किए गए प्रत्येक कर्मचारी की परिवीक्षावधि दो वर्ष की होगी, इस अवधि के दौरान उसे सीधे भर्ती किए गए नायब तहसीलदारों के लिए विहित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा, यदि कोई कर्मचारी परिवीक्षावधि के दौरान नायब तहसीलदार के पद के लिये उपयुक्त नहीं पाया जाता है तो उसे उसके मूल लिपिकवर्गीय पद पर पदावनत किया जा सकेगा. ऐसे पदावनत कर्मचारी की परिवीक्षावधि के दौरान की गयी सेवा अवधि को उसके लिपिकवर्गीय पद पर व्यतीत की गयी सेवा अवधि समझी जाएगी.

Bhopal, the 19th October 2011

No. F-1-5-2010-Seven-4A.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules relating to the recruitments and service conditions of members of the Madhya Pradesh Junior Administrative Service, namely:—

### RULES

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Junior Administrative Service, (recruitments and service conditions of Service) Rules, 2011

(2) They shall come into force from the date of their publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “appointing authority” in respect of the service means the Government,

(b) “Commission” means the Madhya Pradesh Public Service Commission,

(c) “Departmental Promotion Committee” means committee as such constituted under these rules,

(d) “examination” means the competitive examination contained in rule 11 of these rules,

(e) “Government” means the Government of Madhya Pradesh,

(f) “Governor” means the Governor of Madhya Pradesh,

(g) “Limited Competitive Examination” means limited competitive examination conducted under rule 13 of these rules,

(h) “Other Backward Classes” means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government *vide* notification . . . . .No. F-85-XXV-4-84, dated 26th December, 1984, as amended from time to time;

(i) “Schedule” means the Schedule appended to these rules;

(j) “Scheduled Castes” means any caste, race or tribe or part of, or group within caste, race or tribe specified as Scheduled Castes with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;

(k) “Scheduled Tribes” means any tribes or tribal community or part of or group within such tribe or tribal community with respect to the State of Madhya Pradesh under Article 342 of Constitution of India;

(l) “Service” means the Madhya Pradesh Junior Administrative Service;

(m) “State” means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and application.**—without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General conditions of Services) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of service as mentioned in Schedule 1.

4. **Constitution of the Service.**—The Service shall consist of the following person, namely:—

(i) Persons, who at the time of the commencement of these rules are holding substantively or in officiating capacity the post as specified in the Schedule 1;

(ii) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

(iii) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

**5. Classification, Scale of pay etc.**—(1) The classification of the service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the either in a permanent or temporary basis.

(2) Members of service shall be entitled for time-scale of pay scale according to the provisions of the circular of finance department dated 24-1-2008.

**6. Method of recruitment.**—(1) Recruitment to the services, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely.

(a) Recruitment to the posts of Naib Tahsildars—

(i) 60% posts will be filled by direct recruitment on the basis of combined competitive examination conducted by the commission.

(ii) 5% posts will be filled by direct recruitment after selection from amongst the clerical staff of the office of the Revenue Board, Commissioner, Land Records and Settlement and office of Commissioner and Collectors, as provided in Schedule V.

(iii) 25% posts will be filled by promotion of Revenue Inspectors as provided in Schedule II and IV.

(iv) 10% posts will be filled from the Graduate Patwari's and Revenue Inspectors by the limited competitive examination according to the provisions made in Schedule II.

(b) Recruitment to the posts of Tahsildar shall be made by the promotions a Naib Tahsildars, as provided in Schedule II and IV.

(c) By transfer of the person who held posts in a substantive officiating capacity in such post in such services, as may be specified by the State Government in this behalf.

(2) The number of persons, recruited under clause (a), (b) and (c) of sub-rule (1) shall not, at any time, exceed, the percentage shown in Schedule II of the number of posts specified in Schedule I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the service, so require the Government may, with prior concurrence of the General Administration Department adopted such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may, by orders issued in this behalf prescribe.

**7. Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rules 6.



8. **Conditions of eligibility of direct recruitment.**—In order to be eligible for selection/ examination a candidate must satisfy the following conditions, namely,—

- (1) **Age**—(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and must not have exceed the age specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable upto maximum of 5 years, if a candidate belongs to the Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (c) The upper age limit shall be relaxable in respect of the candidates, who are or have been employees of the Government of Madhya Pradesh to the extent and subject to the conditions specified below:—
  - (i) A candidate who is a permanent Government servant should not be more than 38 years of age;
  - (ii) a candidate who is holding post temporarily and applying for another post should not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to a candidate who is the contingency paid employees, work charged employee and employees of the Project Implementing Committee;
  - (iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him upto a maximum limit of seven years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term “retrenched Government servant” denotes a person who was in temporary Government service of this State or any of the constituent units for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

- (iv) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term “Ex-serviceman” denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of economy unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

- (1) Ex-serviceman released under mustering out concession;
- (2) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on—
  - (a) completion of short-term engagement;
  - (b) fulfilling the conditions of enrollment;
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit;
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service regular commissioned officers);

- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies;
- (6) Ex-serviceman invalidated of services;
- (7) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;
- (8) Ex-serviceman who are medically boarded out on account of gunshot, wounds, etc.
- (d) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for woman candidates according to Madhya Pradesh Civil Services (Special provision for appointment of woman) rules, 1997.
- (e) The Upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of the widow, destitute and divorcee woman candidates.
- (f) The upper age limit will be relaxable up to maximum 2 years, for the candidates who hold green card under family welfare programme.
- (g) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of awarded superior caste partner of a couple under the inter-caste marriage incentive programme of the Tribal, Scheduled Castes and Backward Classes Welfare Department.
- (h) The upper age limit shall be relaxable up to five years in respect of Vikram Award holder candidates.
- (i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates, who are employee of the Madhya Pradesh State Corporation/Boards.
- (j) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary home guard and non-commissioned officers of home guard for the period of service rendered so by them subject to the limit of eight years but in no case their age should exceed 38 years.
- (k) The upper age limit shall be relaxable to the destitute candidates as per instructions issued by the State Government, from time to time.

**Note** (1).—Candidates who are found eligible for the examination. selection under the age concessions mentioned in above rule 8(1)(c)(i) and (ii) above shall not be eligible for appointment if after submitting the application, they resign, from service either before or after examination/selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other cases this age limit will be relaxed.

(2) Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the examination/selection.

(2) **Educational qualification**.—Candidate must have possesss the educational qualifications specified for the service as shown in Schedule III:

Provided that—

- (a) in exceptional cases appointing authority, may treat as qualify any candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in these rules, but has passed examination conducted by other Institutions/Universities by such a standard for which the appointing authority considers the candidates eligible to appear in the examination/ selection;
- (b) candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities being Universities not specifically recognised by the Government may also be considered for appearing in the examination/selection at the discretion of the appointing authority.

(3) **Fee.**—Candidate must pay the fees prescribed by the appointing authority.

9. **Disqualifications.**—(1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to disqualify him for appearing in the examination/ selection.

(2) In accordance with the provisions of rule 5 of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Services) Rules, 1961, no candidate shall be eligible for appointment in any service or post who has married before the minimum age fixed for the marriage.

(3) A candidate shall not be eligible for another service or post who has more than two living children, one of them is born on or after 26th January, 2001:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to a service or post, who has already had one living child and in the next delivery takes place on or after the 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

(4) Any candidate shall not be eligible for appointment to service, who has been convicted of an offence against woman provided that where such case is pending in court against a candidate, his case of appointment shall be kept pending till the final decision of the Court.

(5) No candidate shall be eligible for appointment to the post if he has two living wives and any candidate shall not be eligible for appointment if she has married to a person who has one wife already.

(6) No Government servant, who has one living wife shall marry without prior permission of the Government.

(7) No female Government servant without prior permission of the Government shall marry to a person who has one living wife.

10. **Decision about the eligibility of candidates shall be final.**—The decision of the appointing authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the appointing authority shall be allowed to appear for interview.

11. **Direct Recruitment by competitive examination to the post of Naib Tahsildar by selection (except selection from Ministerial Service and from Patwari/Revenue Inspectors).**—(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Commission may, in consultation with the Government, from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government, may time to time issue in consultation with the commission.

(3) There shall be reserved posts for the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes at the stage of direct recruitment in accordance with the provisions contained in the Madhya Pradesh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Janjatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the order and instructions issued by the State Government, from time to time.

(4) There shall be the reserved posts for woman candidates in accordance with the Madhya Pradesh Civil Services (Special Provision for Appointment of Woman) Rules, 1997.

(5) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(6) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes and Other Backward Classes considered by the Commission to be suitable for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(7) There shall be reserved posts for the disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administration Department.

(8) In such cases, where the experience for some period has been prescribed as essential conditions for the posts to be filled in by direct recruitment and it is found in the opinion of appointing authority that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes may not be available, the appointing authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes after consultation with State Government.

(9) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall not be filled by the other candidates and vacancies, as the case may be, shall be reserved for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes to the next selection.

**12. List of candidates recommended by the commission.**—(1) The Commission shall prepare and forward a list to the Government arranged in order of merit of the candidates, who have qualified by such standards, as the commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects of appointment to the service.

(4) The selection list will be valid for a period of one year from the date of its issue.

**13. Selection by Direct Recruitment through limited competitive examination to the post of Naib Tahsildar from the Ministerial Service and Patwari/Revenue Inspectors cadre.**—Only such members of Ministerial Services of the offices of Revenue Board, Commissioner, Land Records and Settlement, Commissioners and Collectors and Patwari and Revenue Inspector will be eligible to get benefit of this scheme who have been serving for at least 5 years as a clerk of Patwari/Revenue Inspectors in permanent or officiating capacity in the Revenue Department and who are holding Graduate degree in Arts, Science (including technical and engineering), Commerce, Agriculture from any recognized University.

(1) For filling up the posts of Naib Tahsildar by selection from amongst the Ministerial Services of Revenue Board, Commissioner, Land Records and Settlement, Commissioners and Collectors, appointing authority shall hold annually, at such time, as he may determine, a limited competitive examination in accordance with the scheme laid down in Schedule V.

(2) The post shall be kept reserved respectively for the candidate of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes from available vacant posts for direct recruitment according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and order issued by the State Government from time to time.

- (3) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes, shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12(1) above irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (4) As the case may be, candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes who are although not eligible according to the standard mentioned in Schedule V but appointing authority regards them to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration; may be appointed on the posts kept reserve for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.
- (5) on the available vacant post, consideration for appointment of candidates shall be done according to the order in the list subject to these rules.
- (6) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Government is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects of appointment to the service.

14. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

15. **Appointment by promotion.**—(1) there shall be constituted a committee consisting of the members as mentioned in Schedule IV for making preliminary selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if the nominating members other than the member presiding the Departmental Promotion Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes, then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status shall be included in the Departmental Promotion Committee and the numbers of Departmental Promotion Committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion of members of service mentioned in column (2) of Schedule IV to the posts mentioned in column (4) thereof in the eligibility of candidate, selection process reservation in the promotion according to the provisions as specified in Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) Appointing authority, shall endorse on the promotion order to be issued by him endorsed certificate to that effect that he has complied with the provisions of Madhya Pradesh Lok Seva Anusuchit Jation, Anusuchit Janjation Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan Adhinyam, 1994 (No. 21 of 1994) and Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002 and the instructions issued in the light of the provisions of the said Adhinyam and rules made by the State Government and he is fully cognizance of provisions of sub-section (1) of Section 6 of above Act.

(4) Meeting of Departmental Promotion Committee will be held on such interval as appointing authority will direct, but ordinarily not exceed one year.

16. **Conditions of eligibility for promotion.**—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service (whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or any other post/posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2):

Provided that any junior person after giving preference to the senior person will not be considered for promotion only on the basis that he has completed duration of service specified under this sub-rule.

**Explanation.**—Manner of computation of eligibility for promotion. The period of qualifying service as on 1st January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee is convened shall be counted from the calendar year in which public servant has come into feeder cadre/part of service/pay scale of post and from the date of joining into cadre/part of service/pay scale of post.

(2) For consideration zone for promotion the provisions of Madhya Pradesh Public Servant (Promotion) Rules, 2002 will be applicable.

**17. Preparation of list of suitable candidates.**—(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare lists of such persons who satisfy the conditions prescribed in rule 16 above and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service according to the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002. The List shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirements and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list consisting of 25% of the number of persons, included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) The criteria of preparation for select list shall be as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

(3) The names of persons included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or post as specified in column (2) of Schedule IV at the time of preparation of each select list. Wherever promotion is to be made on the basis of merit-cum-seniority the select list shall be prepared as per the provisions of Madhya Pradesh Public Service (Promotion) Rules, 2002.

**Explanation.**—As person whose name is included in a select list, but who is not promoted during the validity of select list, shall have no claim to seniority over those considered in a subsequent selection mere by the fact of his earlier selection.

(4) The lists as prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, a review or a revision it is proposed to supersede any member of the service, the committees shall record its reasons for the proposed supersession.

**18. Consultation with the commission.**—The list of Naib Tahsildars fit for trial as Tahsildars prepared in accordance with rules 17 shall then be forwarded to the Commission by the Government along with.—

(i) the records of all persons included in the lists;

(ii) the records of all members of the service as are proposed to be superseded by the recommendations made in the lists;

(iii) the reasons as recorded by the Committees for the proposed supersession of any member of respective cadres; and

(iv) the observations of the Government on the recommendations of the Committees.

**19. Select list.**—(1) the Commission shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the Government and unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the lists received from the Government, he shall inform the commission at the change proposed, and after taking into account the comments, if any, of the Committee may approve the lists, finally with such modifications, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The lists as finally approved by the Commission shall form the select list for promotion to the post of Naib Tahsildar/Tahsildars.

(4) (a) The select list prepared for promotion to the post of Naib Tahsildar from Revenue Inspectors in accordance with rule 13 shall be considered by Government who would, unless any changes are considered necessary approve the list.

(b) If Government considers it necessary to make any change in the list received from the Committee, the Government may approve the list finally with such modification as in its opinion be just and proper after recording the reasons thereof.

(5) The select list shall ordinarily be in force until reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 17, but the validity of these lists shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission, may, it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

**20. Appointment from the Select List.**—(1) Appointments of the persons included in the select list to post borne on the cadre of the service shall follow the order, in which the names of such persons appear in the select lists.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the select lists in the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select lists, and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority, is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

**21. Probation.**—Every person appointed in the service by promotion shall be appointed on probation for a period of two years.

**22. Interpretation.**—If any questions arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

**23. Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules shall apply in such manner as may appear him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to person than that provided in these rules.

**24. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions regarded to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

**25. Repeal.**—All rules and orders corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or action taken under the corresponding provision of these rules.

#### SCHEDULE I

(See rule 5)

Classification, pay scale and number of posts included in the Service

S. No.	Name of posts included in the service	Number of posts	Classification	Pay band+Grade Pay
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Tahsildar	499	Grade III Executive	9300-34800+4200
2.	Naib-Tahsildar	594	Grade III Executive	9300-34800+3600

## SCHEDULE II

(See rule 6 and 7)

## Method of Recruitment

Sl. No.	Name of Department	Name of Post and Service	Number of Duty Post	Percentage of Duty Post be filled		
				By Direct recruitment	By Promotion of Member of Service	By transfer from other services by Deputation by limited competitive examination
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Madhya Pradesh Revenue Department	Tahsildar	474	-	-	-
		Naib-Tahsildar	594	60% by competitive examination which is conducted by Commission	25% by promotion of Revenue Inspectors	A-5% by clerical staff of Revenue Board, Commissioner, Land Records and Settlement, Commissioners, Collectors by limited competitive examination. B-10% by Graduate Patwari/Revenue Inspectors by limited competitive examination.

## SCHEDULE III

(See rule 11)

## Age and Qualification of the persons to be recruited directly

Name of Department	Name of Service and Post	Minimum age limit	Maximum age limit	Educational qualification
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Revenue Department	Madhya Pradesh Junior Administrative Services-Naib-Tahsildar	21	35	Degree from recognized University in Art, Commerce, Agriculture, Science (including Technical & Engineering).



## SCHEDULE IV

(See rule 15)

## Method of Recruitment

Sl. No.	Name of Department	Name of Post or Service	Experience for the Promotion	Name of service or post in which promotion is to be made	Appointing Authority	Members of the departmental promotion committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Revenue Department	Naib-Tahsildar	5 years	Tahsildar	Government	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman of Madhya Pradesh, Public Service Commission or Member nominated by him- <b>Chairman</b></li> <li>2. Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department- <b>Member.</b></li> <li>3. Divisional Commissioner- <b>Member.</b></li> <li>4. In case nominated member does not belongs to Scheduled Caste, Scheduled Tribe than any member of same status.</li> <li>5. Additional Secretary/ Dy. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department- <b>Member Secretary.</b></li> </ol>
2.		Revenue Inspector	5 years	Naib Tahsildar	Government	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Principal Secretary/ Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department- <b>Chairman.</b></li> <li>2. Commissioner, Land Records, Mdhya Pradesh <b>-Member</b></li> <li>3. Divisional Commissioner, Madhya Pradesh- <b>Member.</b></li> <li>4. In case nominated members does not belong to Scheduled Cast, Scheduled Tribe than any member of same status.</li> <li>5. Additional Secretary/ Dy. Secretary, Government of Madhya Pradesh, Revenue Department- <b>Member Secretary.</b></li> </ol>

## SCHEDULE V

“ Scheme for filling up posts of Naib-Tahsildars by limited competitive examination from amongst the Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Commissioners of Divisions and Collectors and Patwari/Revenue Inspectors Cadre.”.

1. **Title.**—This Scheme will be called “The Scheme for filling up the post of Naib Tahsildars by selection from amongst the Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Commissioners of Divisions and Collectors and Patwari/Revenue Inspectors cadre.

2. **Eligibility.**—Only such members of Ministerial Services of the Offices of Revenue Board, Commissioner Land Records and Settlement, Commissioner of Divisions and Collectors and Patwari/Revenue Inspectors Cadre will be eligible for getting the benefit of this scheme who possess the following qualifications, namely :—

- (i) Who have been working on any Ministerial post in the Revenue Department or as Patwari/Revenue Inspectors for at least 5 years in permanent or officiating capacity;
- (ii) Who are, on the 1st January of that year in which application is made, does not exceed 40 years. Maximum age limit for employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes will be 45 years; and
- (iii) No persons will be allowed to appear for more than three times in the examination under this scheme.

3. **Selection.**—Selection for appointment shall be based on (i) mark obtained in the written examination held under this scheme and (ii) appraisal of annual confidential reports of the employee concerned of the last five years.

4. **Examination.**—(1) There will be written examination which shall be conducted by the Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior every year or at such intervals, on such date or dates and at such place or places as the Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior decide.

(2) In the written examination, there will be two question papers each of 50 marks and 2.30 hours duration. A candidate in order to be successful must obtain at least 50% marks in each paper separately.

(3) Question papers will be essay type and got set by the Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior and evaluation will also be carried out by Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior.

### Question Paper I

Maximum Marks-50  
Time-2.30 hours

(1) General Knowledge (15 Marks)

Brief questions based on general information relating to current events, Indian History, Indian Geography and allied topic. Brief questions based on general information about Madhya Pradesh, simple questions relating to General Science. (Only 15 questions).

(2) General Hindi (15 marks) Only 15 questions.

(3) Elementary Arithmetic (20 marks) Multiplication, division, decimal fraction, percentage, profit and loss, average, area, volume ratio-preparation (only 20 questions).

## Question Paper II

Maximum Marks-50

(1) Knowledge of Government Service (20 marks)

Introductory knowledge of the rules relating to pay allowance, leave, General Provident Fund Scheme, General Knowledge of rules of recruitment in service, introductory knowledge of rules relating to conduct of a Government Service.

(2) Knowledge of Revenue terminology (15 marks). General Knowledge of different designations in the department and jurisdictions, introductory knowledge of various organizations connected with Revenue Department (Only 15 questions).

(3) Knowledge of the following Acts (15 marks)

- (1) Land Revenue Code, 1959
- (2) Madhya Pradesh Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1960
- (3) Madhya Pradesh Cooperative Societies Act, 1960
- (4) Revenue Manual (All Parts).

(4) Applications will be invited from the candidates who are desirous of appearing in examination by Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior before appropriate duration from the date of examination and the candidates who are eligible will be informed of date, time and place of the examination.

(5) Evaluation of answer copies of both question papers will be carried out by the Commissioner, Land Records and Settlement, Gwalior and in this work help of officers of Commissioner, Land Records and Settlement, Revenue Board, Divisional Commissioner and Collectors and other departments will be taken and these officers will be nominated by the Commissioner, Land Records and Settlement Gwalior.

(6) The list of candidates who have obtained 50% or more marks separately in each paper will be prepared according to the mark obtained in both papers.

5. (1) The appraisal of last 5 years Annual Confidential Report will be carried out by the Departmental Promotion Committee according to Schedule IV column (4) and (5) of those candidates whose names reflect in the list prepared according to the above para (6).

(2) Each candidate will be given marks out of 20 on each years annual confidential report according to the norms mentioned below :—

Excellent	20 marks
Very Good	18 marks
Good	15 marks
Average	10 marks

(3) Marks given on the basis of the annual confidential report out of 100 and marks obtained in exam will be added.

(4) Final select list will be prepared according to the total marks obtained in the examination and marks obtained in the appraisal of annual confidential report. Promotions of Naib Tahsildar against the quota of 10% will be made from this list according to the order in which their names appear.

(5) The inter se seniority of the ministerial employees appointed as Naib Tahsildars under this Scheme shall be based on this list according to order in which the name appears.

6. **Probation.**—Every employee appointed under this scheme shall be on probation for two years. During this period, he will have to undergo the training prescribed for Naib Tahsildars recruited directly. If an employee is not found suitable for the post of Naib Tahsildar during the probationary period, may be reverted to his original ministerial post. The period service rendered during the probationary period of such reverted employee will be treated as period of service spend on his ministerial post.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
मनीष श्रीवास्तव, सचिव.